b&xousl lkslkbVh ¼dsUnzh; bdkb½ gehjiqj ftyk gehjiqj dh mi;ksDrk izHkkj fuf/k;ksa dk vads{k.k izfrosnu

vof/k 7@2006 ls 3@2013

Hkkx&,d

1 izkjfEHkd%&

ई–गवर्नैस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर के अवधि 7/2008 से 3/2013 की उपयोक्ता प्रभार निधियों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेष सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–TPT-F(1)-3/2000-e-Governsance, दिनांक 3.9.2005 के दृष्टिगत इस विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री अजीत सिंह द्वारा दिनांक 26.9.2013 से 10.10.2013 के दौरान हमीरपुर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नलिखित हैः–

o"kZ	vk;	O;;
2006–07	9/2006	2/2007
2007–08	2/2008	9/2007
2008–09	12/2008	5/2008
2009–10	8/2009	4/2009
2010–11	9/2010	5/2010
2011–12	11/2011	11/2011
2012–13	1/2013	5/2012

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 vads{k.k 'kqYd%&

ई–गवर्नैस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) के वर्तमान लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण षुल्क का आंकलन ₹13200/– किया गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 15.10.2013 जारी करके उपरोक्त अंकेक्षण षुल्क की राषि को

रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष, षिमला–9" को भेजने का अनुरोध किया है।

3 foŸkh; fLFkfr%&

जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत ई–गवर्नैस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर के अवधि 7/2006 से 3/2013 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति पृष्ठ संख्या 14 पर दर्षाई गई है, जिसका विस्तृत विवरण **ifjf'k"V "d"** पर भी दिया गया है।

4 vf/kD; jkf'k;ksa dk cpr [kkrksa dh vis{kk lkof/k tek ;kstuk ds vUrxZr fuos'k djus ckjs%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 को ई–गवर्नैस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर द्वारा हिमाचल प्रदेष ग्रामीण बैंक खाते में ₹3596594/– अन्तषेष के रूप में बचत खाते में जमा रखी गई थी जिस पर साधारण दर से बैंक द्वारा ब्याज दिया गया है। इस सन्दर्भ में संस्था को परामर्ष दिया जाता है कि सोसाईटी के लिए अधिक ब्याज अर्जित करने के लिए संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके तथा संस्था के व्ययों को ध्यान में रखते हुये उक्त राषि का एक समुचित भाग सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित किया जाए ताकि संस्था द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत बैंक से अधिक दर पर ब्याज अर्जित किया जा सके।

5 [kkrksa esa tek jkf'k;ksa dk vkWVks Lohi eksM esa j[kus ckjs%&

ई–गवर्नैन्स (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर के बैंक खातों की जाँच पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 को यूको बैंक खाते में जमा ₹1669196/– को विभिन्न तिथियों को ऑटो स्वीप मोड में रखा गया था जिसके चलते खातों की पारदर्षिता में अभाव रहा क्योंकि किसी एक तिथि विषेष को अन्तषेष में कितनी राषि बचत खाते में थी व कितनी ऑटो स्वीप मोड में थी, की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि समय–2 पर बैंक के बचत खातों में जमा राषियाँ तथा ऑटो स्वीप मोड में जमा राषियों से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त किए जाएं तथा जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

6 fofHkUu i thdj.k ,o ykblflx i kf/kdj.kk ¼RLAs½ }kjk gLrkrfjr dh xb jkf’k;k dh if"V d ckj e&

जाँच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में जिला हमीरपुर के अन्तर्गत विभिन्न पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरणों (RLAs) द्वारा ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर को राषि हस्तांतरित की गई परन्तु इन (RLAs) द्वारा परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित हस्तांतरित की गई राषियों का अलग से अभिलेख न रखने के कारण उसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्यालयों से पत्राचार करके ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर को भेजी गई राषियों के खाते का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त करके अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान हस्तांतरित की गई राषियों/ परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित राषियों की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिष्चित की जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से इन कार्यालयों से परिवहन गतिविधियों तथा अन्य गतिविधियों के खाते का विवरण अलग–2 प्राप्त करके उनका मिलान ई–गवर्नैन्स के लेखाओं से किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

7 b&xouUl lklkbVh ¼dUnh; bdkb½ gehjij l tkjh LVkj@LVkd y[kkvk dh if"V lEcfU/kr ¼RLAs½ l djoku ckj&

¼d½ ई–गवर्नैन्स सोसाईटी हमीरपुर के गठन से सम्बन्धित नियमों के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत बनाये गये निधि नियमों के नियम 3.3 के अनुसार परिभाषित केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर के क्षेत्राधिकार के सभी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरणों (RLAs) द्वारा उपयोक्ता प्रभारों के रूप में प्राप्त राषियों का कुछ हिस्सा केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर में चैक द्वारा जमा करवाया जाता है तथा इन पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरणों (RLAs) द्वारा प्रयोग की जाने वाली लेखन सामग्री व अन्य उपकरणों की आपूर्ति केन्द्रीय ईकाई द्वारा की जाती है। अंकेक्षण के दौरान केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर द्वारा विभिन्न (RLAs) को उपलब्ध करवाई गई सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित हैः–

¼i½ केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से जारी की गई सामग्री के समर्थन में विभिन्न (RLAs) से उनके मांग पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में उनकी वास्तविक मांग का आंकलन नहीं किया जा सका।

¼ii½ केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से विभिन्न (RLAs) को जारी सामग्री की प्राप्ति के समर्थन में कोई अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय ईकाई द्वारा जारी सामग्री की सम्बन्धित (RLAs) द्वारा प्राप्ति किये जाने की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी।

¼iii½ केन्द्रीय ईकाई से जारी व विभिन्न (RLAs) द्वारा प्राप्त सामग्री को सम्बन्धित (RLAs) द्वारा अपने स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में आगामी अभिलेख एवं उपयोग हेतु दर्ज किया गया है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं करवाई गई। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के "Test Check" के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर द्वारा विभिन्न (RLAs) एवं अन्य कार्यालयों को जारी की निम्नलिखित वस्तुओं को सम्बन्धित (RLAs) एवं अन्य कार्यालयों द्वारा स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में इन्द्राज करने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं करवाई। अतः ई–गवर्नैन्स सोसाईटी हमीरपुर की केन्द्रीय ईकाई द्वारा सभी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरणों (RLAs) व अन्य को जारी की गई स्टोर/स्टॉक की मदों को उनके द्वारा अपने स्टोर/स्टॉक रजिस्टरो में इन्द्राज करने की पुष्टि करवाई जानी सुनिष्चित की जाए। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) द्वारा जारी की अन्य वस्तुओं के सन्दर्भ में भी स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में पुष्टि इत्यादि की जाँच भी संस्था स्त्तर पर की जाए ताकि सम्बन्धित कार्यालयों की लेखा प्रणाली में एकरूपता एवं पारदर्षिता लाई जा सके।

क्र0 सं0	बिल0 सं0/दिनांक	फर्म का नाम जिससे सामान खरीदा गया	खरीदे गये सामान का विवरण	मदों की सं0	दर	राशि	सामान जिसे जारी किया
1	72/6.9.2006	जयहिन्दग्रामोद्योग स्टील फर्नीचर, हमीरपुर	Adjustable record racks with 36 shift	6	2100+ vat 4%	11232	e-Gov. SDM Hamirpur
2	15307/14.11.06	H.P. State Electronics Corp. Ltd Shimla	HP 1022 laser Jet-Printer	1	7885+ vat 4%	8200	Tehsil Office Hamirpur
3	011/21.10.06	Jyot Enterprises Hamirpur	Fire Proof safe Banker's	3	17850 9vat	55692	Govt center Hamirpur

			qualitis		4%		Barsar Nadaun
4	042 / 16.12.06	भारत फर्नीचर हमीरपुर	गेदरेज रैक 6 सैल्फज	6	2682	16092	e-Gov. center Hamirpur
5	89 / 16.12.06	जयहिन्द ग्रामोद्योग स्टील फर्नीचर हमीरपुर	रिकार्ड रैक्स	10	1800+vat 4%	18720	SDM Barsar
6	004 / 30.12.06	नैषनल फायर टेकइन्डस्ट्रीज बददी सोलन	Abe Type fire extingwisher	12	1555+vat	19344	4 for each e-Gov. Centre
7	477 / 28.2.07	राधा कृष्णा प्रिन्टर्ज हमीरपुर	रसीद बुकें गाड़ियों के पंजीकरण हेतु for ₹50 each	100	28+vat	2828	अभिलेख में कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।
8	15047 / 18.9.06	HP State Electronics Corp. Ltd षिमला	Signature Pad	1	2260+ vat	2350	e-Gover, Nadaun
9	15142 / 13.10.06 15142 / 13.10.06 15142 / 13.10.06	HP State Electronics Development Corp. LTD षिमला HP State Electronics Development Corp. LTD षिमला HP State Electronics Development Corp. LTD षिमला	Dell. Computer WER HQ 1070 Dx PRINTERS switch 9 part	3 1 1	31202 11745 1442	93606 11745 1442	
10	15143 / 13.10.06	–यथोपरि–	UPS 03 KVA on line IT make	1	44394 +vat4 %	46170	
11	15333 / 16.11.06	–यथोपरि–	SERVER Configuration-11 DELL	1	101635+vat 4%	105700	

			Model				
12	15667 / 30.12.06	–यथोपरि–	HP Business INKJET R00D	1	10000 +vat4 %	10400	
13	15940 / 31.1.2007	–यथोपरि–	Wed Camera	1	5288.46+vat4 %	5500	
14	808 / 3.1.07	JYOT Enter Prises Hamirpur	Halogen Heater orpat	1	1250	1250	
15	806 / 3.1.2007	–यथोपरि–	Carbon Heater	1	2599	2599	
16	16055 / 7.3.07	HP State Electronics Development Corp. षिमला	Windows SBS Server 2003	1	54904 +vat4 %	57100	
17	703 / 25.5.07	M/S Vashist Electronics & Eletrical works Hamirpur	Water Filter (EUREKA FORBES make)	1	5600+ vat4% +Fitting charges	6124	
18	0052 / 30.10.06	Ellora Technology Pvt. LTD. Hamirpur	HCL Exeebee max 4781 HP 3845 Desk Jet	1 1	19900 +vat4 % 4700+ vat4%	19900 4700	
19	0053 / 30.10.06	–यथोपरि–	HCL Printer	1	2900+ vat4$	3016	
20	243 / 4.9.07	जयहिन्द ग्रामोद्योग स्टील फर्नीचर	Steel Almirah	4	8800+ vat4%	15808	Tehsil office Hamirpur
21	1215 / 21.9.07	ऐलोरा टैक्नॉलॉजी	Printers	1	18720	18720	e-Gover.

		हमीरपुर	DMP WIPRO LQDSI 5235				Barsar
22	16689 / 2.7.07	HP State Elecronics Development Corp. Shimla	UPS 5 KVA on line TT make	1	85279 +vat4 %	88690	e-Govern. Hamirpur
23	163 / 17.11.07	Ellora Technology Hamirpur	HP 3050 all in one Printers	1	14800 +vat4 %	15392	e-Gover. Bhoranj
24	17 / 18.5.07	H.P.S. Electronics Dev. Corp. Shimla	Sharp plain paper fax madhine	2	1500+ vat4%	23625	e.Gover. Barsar & Nadaun
25	षून्य / 4.3.08	CIS Computers & Associates Shimla-12	Exideep 42 AH-12Vind. Battaries	12	4800	57600	e-Gover. Barsar

8 mi&e.Mykf/kdkjh uknkSu dk Hkqxrku nh xbZ ₹100000@& d ckj e&

जाँच में पाया गया कि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर द्वारा चैक संख्या 552262 दिनांक 13.4.2011 के अन्तर्गत ₹100000/– का भुगतान उप–मण्डलाधिकारी नादौन को किया गया। अंकेक्षण पर प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या इस राषि को ई–गवर्नैन्स या (RLA) नादौन के उत्थान से सम्बन्धित प्रयोजन हेतु दिया गया था या किसी अन्य उद्देष्य से दिया था। अतः इस सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति से अवगत करवाते हुए अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

9 feuh lfpoky; dh ejEer d fy, Mh0vkj0Mh0,0 gehjiqj dk ₹300000@& dk Hkqxrku djuk&

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर की निधि से डी0आर0डी0ए0 हमीरपुर के सहायक अभियन्ता (विकास) को चैक संख्या 626553 दिनांक 7.5.2010 द्वारा ₹300000/– का भुगतान मिनी सचिवालय की मुरम्मत के लिए दिया गया। अंकेक्षण पर प्रस्तुत अभिलेख की

जाँच से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इस राषि का उपयोग ई–गवर्नैन्स के संचालन हेतु उपलब्ध करवाऐ गये स्थान की मुरम्मत पर किया गया है अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु इसका उपयोग किया गया है। अतः उपरोक्त राषि में से कुल खर्च का मदवार विवरण सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर के उपरोक्त भुगतान की गई ₹300000/– की उपयोगिता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राषि के अन्यत्र प्रयोग होने पर इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 **Music System** dk Hk.Mkj esa bUnzkt u djus ckjs%&

¼d½ ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर द्वारा Himachal Pradesh State Development Corporation LTD. को दिनांक 29.5.2012 को ₹14937/– का भुगतान सुगम केन्द्र हमीरपुर में Music System लगाने के लिए किया गया, लेकिन उपरोक्त खरीदी गई सामग्री की भण्डार में प्रविष्टि की जाँच लिए सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में नहीं दिखाये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त Music System का भण्डार में इन्द्राज नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सामान का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टरों में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

¼[k½ उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार खरीदे गये सामान का भी भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही खरीदे गये सामान की उपयोगिता की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान करवाई गई जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि किस प्रयोजन से सामान की खरीद की गई थी और खरीदे गए सामान को कहाँ पर स्थापित किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त सूचनाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	खरीदे गये सामान का विवरण	दर ₹	₹
1	243/4.9.07	मै0 जय हिन्द्र ग्रामोद्योग स्टील फर्नीचर हमीरपुर	4 स्टील अलमारी 1980x865x485	3800+4% vat charges	15808

2	1215/21.9.07	मै0 ऐलोरा टैक्नॉलॉजी हमीरपुर	1 प्रिन्टर्ज DMP, WIPRO LQD S1 5235	18000+4 % vat charges	18720
3	16689/2.7.07	H.P. State Electronics Development Corporation LTD	1 UPS 5KVA online T.T. make with one hour Battary	85279+34 11.16 vat charges	88690

11 Quhpj dh [kjhn d ckj e&

¼d½ ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर की निधि से निम्नविवरणानुसार खरीदे गये फर्नीचर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि यह फर्नीचर हिमाचल प्रदेष वित्तीय नियम 2009 के नियम 138 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं खरीदा गया क्योंकि उक्त नियम के अनुसार सरकारी कार्यालयों में खरीदे गये पुराने सामान/फर्नीचर के अनुपयोज्य होने पर उस के स्थान पर नया फर्नीचर/सामान खरीदते समय संविदाकारों या आपूर्ति हेतु चयनित फर्म के साथ अनुबन्ध करके पुराने सामान/फर्नीचर का आदान–प्रदान नये फर्नीचर/सामान से किया जाना अपेक्षित था तथा पुराने सामान के आंकलित मूल्य की राषि को नये खरीदे जाने वाले फर्नीचर/सामान की कुल कीमत की राषि में से कम करके षेष राषि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त फर्नीचर की खरीद से से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इस खरीद से पूर्व उपायुक्त व उप–मण्डलाधिकारी हमीरपुर के कक्ष में कितनी अनुपयोज्य कुर्सियाँ व टेबल थे जिसके बदलने के लिए नया फर्नीचर खरीदा गया तथा पुराने फर्नीचर के अनुपयोज्य होने पर किस कार्यालय के Dead Stock Register में अनुपयोज्य फर्नीचर का इन्द्राज किया गया है।

Ø0 l0	fcy l0@fnukd	Qe dk uke	[kjhnh xb lkexh o ek=k	nj@dy jkf'k	[kjhnh xb ftl dk;ky; gr tkjh dh xb
1	ASFI/03245/ 2.03.2011	मै0 अशोक स्टील फर्नीचर इन्डस्ट्रीज	40 सोफा सैट सिंगल सीटिड	₹400 प्रति सोफा	24 सोफा सैट उपायुक्त कक्ष के लिए

		मण्डी (हिमाचल प्रदेष)	कषन्ड सीट	₹80000+वैट 4000=84000	16 सोफा सैट उप–मण्डलाधिकारी हमीरपुर के कार्यालय के लिए
2	240/8-3-2011	मै0 भाटिया इन्टीरियर डेकोरेटर हमीरपुर	1 सैन्टर टेबल	₹5120	उपायुक्त कक्ष के लिए जारी किया गया।

अतः इस प्रकरण में अपेक्षित अभिलेख तैयार करके उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh }kjk Hkqxrku okÅpjksa dks ikfjr fd, fcuk gh fcyksa dh vnk;xh djus ckjs&

भुगतान वाऊचरों के अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 10.7.2006 से 8.3.2007 के दौरान किये गये भुगतान से सम्बन्धित वाउचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था। अतः भुगतान वाऊचरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/पारित न किए जाने पर भी बिलों की अदायगी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अवधि के वाऊचरों पर अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

13 ₹11440@& ds vfu;fer Hkqxrku ds ckjs esa&

जाँच में पाया गया कि माह 5/2008 में ₹11440/– का भुगतान मै0. Swift Talk हमीरपुर को निम्नविवरणानुसार किया गया जो नियमों के अनुसार इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः नियमों की अनुपालना न करके व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित रूप से किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके इस निधि में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

fcy l0@fnukd	[kjhn x; lkeku dk fooj.k	en l0	nj	dy jkf'k
2733/8.5.2008	Nokia-1200 Mobile ste	3	1230	3690
2737/8.5.2008	Nokia N-72 Black	1	7750	7750
			;kx	₹11440

14 lYQ pdk d ek/;e l jkf'k vkgfjr djd Qek dk Hkxrku dju ckj&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर द्वारा भुगतान के लिए चैक पद्धति अपनाई गई थी परन्तु सोसाईटी द्वारा इन चैकों को सैल्फ चैक के रूप में भुनाया गया है तथा तत्पष्चात भुगतान सम्बन्धित फर्मों को किया गया जो नियमों के विरूद्ध था। अतः चैकों का भुगतान सीधे सम्बन्धित फर्म को न करके सैल्फ चैक के माध्यम से राषि बैंक में निकालने के उपरान्त भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन राषियों के विरूद्ध किये गये भुगतान से सम्बन्धित बिलों की कार्यालय स्त्तर पर छानबीन करके वास्तविकता से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में चैकों का भुगतान सीधे फर्म/व्यक्ति के नाम करके लेखाओं के रख–रखाव में पारदर्षिता बनाई रखनी सुनिष्चित की जाए। बैंक खातों से सैल्फ चैकों के द्वारा निकाली गई राषियों का विवरण इस प्रकार से हैः–

fnukd	pd l0	jkf'k
27.3.2009	45777	4975
30.12.2011	552889	10000
7.7.2009	686229	83976
25.7.2009	686230	67554
2.9.2009	686238	46116
1.10.2009	50105	32413
27.11.2009	50120	40582
29.6.2010	619651	61071
28.7.2010	619661	132786
15.10.2010	–	163322

16.12.2010	522209	118595

15 LVkd jftLVjk dk vfu;fer :i l j[k&j[kko djuk&

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी हमीरपुर के गठन के पश्चात माह 7/2006 से 4/2009 के दौरान ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर के निधि लेखाओ ंका संचालन जिला लघु बचत कार्यालय हमीरपुर द्वारा किया गया। तत्पष्चात कुछ समय के लिए जिला नाजर षाखा हमीरपुर द्वारा इन खातों को संचालित किया गया और अब वर्तमान में इस निधि का संचालन जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर द्वारा किया जा रहा है लेकिन जितनी–जितनी अवधि के लिए जिस–2 कार्यालय द्वारा इस निधि का संचालन किया गया उस अवधि के दौरान इस निधि से खरीदी गई स्थाई प्राकृति की वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टरों को उन्ही कार्यालयों में रखा गया है जबकि नियमानुसार निधि के संचालन का हस्तांतरण होने पर इस निधि से खरीदी गई वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टरों को भी हस्तांतरित करके अगले कार्यालय के सुपुर्द करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अलग–2 कार्यालयों द्वारा लगाए गए स्टॉक रजिस्टरों में कुछ वस्तुओं के इन्द्राज किये गए है और कुछ वस्तुओं के इन्द्राज ही नहीं किये गए है। यह एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि जब तक खरीदी गई वस्तुओं का विधिवत लेखाकंन स्टॉक रजिस्टरों में नहीं किया जाएगा तब तक अभिलेख के अनुसार उसकी खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकती और न ही निधि की सम्पत्तियों का वास्तविक आंकलन किया जा सकता है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि अवधि 7/2006 से 3/2013 के दौरान वाऊचर फाईलों/अभिलेख की संस्था स्तर पर पड़ताल करके उन वाऊचरों के अन्तर्गत खरीदी गई प्रत्येक मदों का स्थाई प्रकृति की वस्तुओं तथा अस्थाई प्रकृति की वस्तुओ ंके अनुसार लेखा रखने के लिए स्टॉक रजिस्टर पर इन्द्राज मदवार अलग–2 पृष्ठों पर किया जाए तथा सक्षम अधिकारी से इनका सत्यापन करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

16 LVkj@LVkd dk iR;{k lR;kiu u djokus ckjs&

अंकेक्षण अवधि 7/2006 से 3/2013 के दौरान ई–गवर्नैन्स निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की मदों का नियमानुसार समय–2 पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया है जो एक अनियमितता है क्योंकि निधि से स्टोर/स्टॉक हेतु खरीदी गई सामग्री की विद्यमानता पर निगरानी रखने के स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना आवष्यक है। अतः अनुपालना

हेतु राय दी जाती है कि ई–गवर्नैन्स निधि से खरीदी गई वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार करवाया जाए ताकि इस निधि की स्थाई व अस्थाई सम्पत्तियों का आंकलन किया जा सके।

17 y?kq vkifŸk foojf.kdk& इसे अलग से जारी नहीं किया है।

18 fu"d"kZ& लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवष्कता है।

उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)(xii) 8/2013 खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिष्चित करें।
2. जिलाधीष हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0।
3. निदेषक, (परिवहन विभाग) हि0प्र0 षिमला–03
4. अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 षिमला–02
5. श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा............................

उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.